

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसो) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/2016/REG-03/SUNSA/3267/15⁰⁰

दिनांक: 20 दिसंबर 2016

अधिसूचना - 118 /2016

विषय : सिक्किम विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ (एसयूएनटीएसए) का गठन

दिनांक 21 नवंबर 2016 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 26वीं बैठक में इस अधिसूचना के साथ अनुलग्नक में दिये गए के अनुसार सिक्किम विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ (एसयूएनटीएसए) का गठन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. अध्ययन विद्यापीठ के डीन
7. छात्र कल्याण डीन
8. सभी विभागों के अध्यक्ष प्रभारी/
9. सिस्टम एनालिस्ट, वेबसाइट में अपलोड करने के लिए
10. अध्यक्ष, एसयूएनटीएसए
11. कार्यालय प्रति
12. सुरक्षा फ़ाइल

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)
कुलसचिव
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

सिक्किम विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ
का
संविधान

प्रस्तावना:

जहां एक ओर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, अधिकारियों और छात्रों और दूसरी ओर विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच परस्परिक सम्मान, सहयोग और समझ-बुझ के माध्यम से एक बेहतर संबंध बनाए रखने हेतु तथा भौतिक एवं बौद्धिक मानवीय व्यक्तित्व की प्रोन्नति के लिए बेहतर सेवा-शर्तों और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए तथा हमारे बीच आपसी एकता, भाईचारा के माध्यम से बेहतर सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए और इस तरह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने हेतु सिक्किम विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों का एक संघ बनाना एवं स्थापित करना समीचीन है।

और इसीलिए, हम, सिक्किम विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारी एक बैठक में सम्मिलित हुए और एक गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ की स्थापना करने हेतु संकल्प लिए और हम एतद्वारा इस संविधान को अपनाते हैं।

अनुच्छेद - I

संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन, स्थिति एवं प्रारम्भ

- (क) संघ को सिक्किम विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ के नाम से जाना जाएगा और इसका संक्षिप्त नाम एसयूएनटीएसए होगा।
- (ख) यह विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त तथा तैनात गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए लागू होगा।
- (ग) यह संघ गैर-राजनैतिक संघ होगा और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी होगा।
- (घ) यह संघ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन की तिथि से लागू होगा।

अनुच्छेद- II

परिभाषाएँ:

इस संविधान में, जब तक अन्यथा विषय अथवा संदर्भ में नहीं कहा गया है -

- (क) “संविधान” का अर्थ सिक्किम विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ का संविधान है। “
- (ख) “आम सभा” का अर्थ संघ के सदस्यों की एक सामान्य निकाय है।
- (ग) “गैर-शिक्षण कर्मचारी” का अर्थ विश्वविद्यालय के “ग्रुप ‘ए’ और सांविधिक अधिकारियों को छोड़कर गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सभी वर्ग है।
- (घ) “कर्मचारी परिषद” का अर्थ इस संविधान के अनुच्छेद VIII (2) के अधीन कर्मचारी परिषद है।
- (ङ) “संघ”. संघ सतत उत्तराधिकार एवं एक सामान्य मोहर सहित एक निगमित निकाय होगा और इसे सिक्किम विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ के नाम से मुकदमा चलाया जाएगा और जारी

किया जाएगा। यह चल और अचल दोनों संपत्तियों को अधिगृहीत करने तथा रखें के लिए तथा अपने पास रखे ऐसे सम्पत्तियों को हस्तांतर करने के लिए सक्षम होगा तथा इस संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति और इसके अधीन बनाए गए नियमों के पालन हेतु सभी आवश्यक कार्य करने के लिए सक्षम होगा।

अनुच्छेद -III

संघ का मुख्यालय :

संघ का मुख्यालय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगा और संघ के निर्णयों के अनुसार किसी अन्य स्थान पर इसकी इकाइयां हो सकती है।

अनुच्छेद-IV

लक्ष्य एवं उद्देश्य :

संघ विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्न करेगा :

- (i) सदस्यों के बीच फैलोशिप और एकता को बढ़ावा देना एवं प्रोत्साहित करना।
- (ii) एक ओर गैर-शिक्षण कर्मचारियों और दूसरी ओर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के बीच परस्परिक सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाना, और इस तरह विश्वविद्यालय की कार्य दक्षता को बढ़ाना।
- (iii) अपने सदस्यों की बेहतर सेवा शर्तों और सुविधाओं को सुरक्षित करते हुए अर्थ-सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए प्रयास करना।
- (iv) सदस्यों को बौद्धिक उत्कर्षता प्राप्त करवाना तथा उनकी बेहतर कैरियर के लिए उन्हें सहायता करना और मार्गदर्शन करना।
- (v) संघ के सदस्यों की सेवाओं की पर्याप्त सुरक्षा सहित सेवा हितों की रक्षा करना।
- (vi) नीति आधारित और सामान्य नीतियों से संबन्धित मामलों और अनसुलझे समस्याओं पर गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता करना।
- (vii) विश्वविद्यालय के अंतर्गत छोटी संस्थाओं और पूरे देश के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों और संगठनों के साथ एक जैसे लक्ष्य और उद्देश्यों को हासिल करने करने के लिए सहयोग करना और इस तरह भाईचारे का बंधन और एक देश में एक परिवार की भावना पैदा करना।
- (viii) सदस्यों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- (ix) गैर-शिक्षण कर्मचारियों, छात्रों और शिक्षकों के बीच समरसता को बढ़ावा देना।
- (x) विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ उनके शैक्षणिक जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए सहयोग करना, और
- (xi) विश्वविद्यालय के सामूहिक जीवन में भाग लेना।

(xii) जिन उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उन उद्देश्यों को बढ़ावा देना।

(xiii) संघ के सदस्यों और उनके परिवारों के कल्याण की रक्षा करना।

अनुच्छेद-V

सदस्यता :

1. संघ की सदस्यता सिक्किम विश्वविद्यालय के सभी नियमित गैर-शिक्षण कर्मचारी (ग्रुप ए को छोड़कर) के लिए है। निर्धारित सदस्यता शुल्कों का भुगतान करने के बाद सदस्यता वार्षिक रूप से नवीकृत की जाएगी।
2. प्रत्येक नए सदस्य पंजीकरण के लिए नामांकन शुल्क रु. 300/- के साथ निर्धारित प्रपत्र में महासचिव को आवेदन करेंगे।
3. वार्षिक सदस्यता शुल्क - रु. 500/-.

अनुच्छेद - VI

सदस्यता के समापन :

एक सदस्य संघ के सदस्य तब नहीं रहता है, अगर वे

- (i) सिक्किम विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त होते/त्यागपत्र देते हैं अथवा उन्हें हटाया जाता है।
- (ii) विश्वविद्यालय में अथवा बाहर किसी पद में कार्यग्रहण करते हैं, जिसके कारण वे संघ के सदस्य के रूप में कार्य जारी रखने के लिए अयोग्य होते हैं।

अनुच्छेद -VII

अनुशासनिक कार्रवाई :

1. किसी सदस्य को संघ की सदस्यता से निलंबित अथवा हटाया जा सकता है, अगर वह
 - (i) इच्छापूर्वक इस संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
 - (ii) संघ के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए अस्वीकार करता है।
 - (iii) संघ के निष्पक्ष छबि और संघ के हित के प्रतिकूल बर्ताव करना अथवा कार्य करता है।
 - (iv) अगर विश्वविद्यालय के नियम और विनियमों को उल्लंघन करते पाया जाता है अथवा उस पर आरोप लगता है।
2. आम सभा अपने विचारानुसार अथवा कर्मचारी परिषद की सिफारिशों के आधार पर संघ के किसी भी सदस्य को, अगर वे इस अनुच्छेद के खंड 1 में दर्शाये गए के अनुसार किसी कारण अथवा सभी कारणों में दोषी पाया जाता है तो उसे हटाया अथवा निलंबित कर सकती है।

परंतु, ऐसे किसी सदस्य को इस तरह से तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक सामान्य निकाय द्वारा कम से कम 15 दिन की सूचना पर आयोजित बैठक में कम से कम एक-तिहाई सदस्य की उपस्थिति में निष्कासन प्रस्ताव पारित नहीं किया जाए।

परंतु, किसी भी सदस्य को इस तरह तब तक हटाया नहीं जाएगा और न ही हटाने के लिए किसी प्रकार के प्रस्ताव सिफारिश की जाएगी जब तक उन्हें इससे पूरे क्यूँ उन्हें इस तरह हटाया नहीं जाएँ अथवा क्यूँ ऐसी सिफारिश नहीं की जाएँ, इस पर उपयुक्त कारण दर्शाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाए।

3. कर्मचारी परिषद के सदस्यों का महाभियोग

कर्मचारी परिषद के सदस्यों के महाभियोग के लिए एक प्रस्ताव संघ के कम से कम 10 सदस्यों द्वारा पारित किया जा सकता है। आम सभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हुए कर्मचारी परिषद के किसी भी सदस्य को अपने पदों से हटा सकती है। परंतु, सदस्यों के मत की संख्या संघ के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए।

अनुच्छेद -VIII

कर्मचारी परिषद

1. संघ की एक कर्मचारी परिषद होगी जो संघ के प्रधान कार्यकारी निकाय होगा।

2. कर्मचारी परिषद का गठन :

कर्मचारी परिषद का गठन निम्नलिखित सदस्यों को लेकर होगा :

- (i) अध्यक्ष
- (ii) उपाध्यक्ष
- (iii) महासचिव
- (iv) सहायक महासचिव
- (v) कोषाध्यक्ष
- (vi) सचिव – सामाजिक एवं सांस्कृतिक
- (vii) विभिन्न संवर्गों से नौ (9) चयनित सदस्य

3. कार्यकाल :

कर्मचारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कार्यग्रहण करने की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए होगा।

कार्यकाल समाप्त होने पर किसी बात के होते हुए कर्मचारी परिषद के प्रत्येक सदस्य अपने पद के उत्तराधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करने की अवधि तक कार्यभार संभालेंगे। जबकि, वे दूसरी बार के चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य होंगे।

4. कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों को अनुच्छेद-XI के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से संघ के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चयनित किया जाएगा।
5. **गणपूर्ति:**
कर्मचारी परिषद की बैठक के लिए एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति बनेगी।
6. **रिक्ति :**
किसी भी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग अथवा कार्य करने के लिए असमर्थता के मामलों में संघ में रिक्त पद होना समझा जाएगा। कर्मचारी परिषद की रिक्त हुए सदस्यता के शेष कार्यकाल के लिए कर्मचारी परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा पूरा किया जाएगा, सिवाय इसके कि अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष की अपनी पसंद पर आम सभा की अगली बैठक में पुष्टि की जाएगी।
उपर्युक्त किसी भी पदभार में अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त कारण के बिना लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उन्हें उसी पदभार ग्रहण करने के लिए पुनः योग्य बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपने पद को रिक्त किया गया समझा जाएगा।

अनुच्छेद - IX

कर्मचारी परिषद की शक्ति एवं कार्य :

1. संविधान के प्रावधानों के अधीन कर्मचारी परिषद निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का निष्पादन करेगी :
 - (i) संघ की नीति तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन के लिए कदम उठाना;
 - (ii) संघ की संपत्ति एवं निधियों को रखना, नियंत्रण करना तथा व्यवस्थित प्रबंधन करना;
 - (iii) संघ के मोहरों की सुरक्षित अभिरक्षा निर्धारित करना तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करना;
 - (iv) संघ के कार्यालय को व्यवस्थित एवं प्रबंधित करना;
 - (v) आम सभा के अनुमोदन हेतु प्रत्येक वर्ष अनुमानित बजट तैयार करना तथा आम सभा में प्रस्तुत करना;
 - (vi) संघ की लेखाओं का लेखा-परीक्षण विवरण को आवश्यकता होने पर कुछ पर्यवेक्षणों के साथ आम सभा में प्रस्तुत करना।
 - (vii) संविधान के प्रावधानों के अधीन नियम बनाना तथा आम सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना;
 - (viii) संघ की वार्षिक रिपोर्ट आम सभा को प्रस्तुत करना;
 - (ix) इस संविधान के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए किए जानेवाले व्यय राशि को धन की उपलब्धता के आधार पर मंजूर करना;

- (x) गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भलाई तथा हितों के लिए बुलेटिन जारी करना अथवा अन्य प्रकाशन करना;
- (xi) संविधान में निर्धारित किए गए संघ के विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना;
- (xii) संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी लोक प्राधिकरण*, निजी निकाय, अथवा व्यक्ति से प्राप्त दान स्वीकार करना, और
- (xiii) आम सभा द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कर्तव्यों एवं कार्यों का निष्पादन करना।
(*गैर-राजनीतिक)

2. कर्मचारी परिषद ऐसे कार्य नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों एवं कार्यों का निष्पादन करेगी, जैसा कि निर्धारित किया गया हो।

परंतु, निर्धारित नियमों के अनुसार अध्यक्ष ऐसे समय में सामान्य प्रक्रिया का पालन करने के लिए निर्देश दे सकते हैं।

अनुच्छेद - X

कर्मचारी परिषद के कर्तव्य एवं कार्य :

संघ की कर्मचारी परिषद के निम्नलिखित कर्तव्य एवं कार्य होंगे :

1. अध्यक्ष

अध्यक्ष -

- (क) कर्मचारी परिषद और आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे;
- (ख) संघ के सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे तथा संघ के समग्र विषयों पर नियंत्रण रखेंगे; और
- (ग) अध्यक्ष के पास कर्मचारी परिषद अथवा आम सभा की आपातकालीन बैठक बुलाने की शक्ति होगी।

2. उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष -

- (क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कर्मचारी परिषद अथवा आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे;
- (ख) कर्मचारी परिषद अथवा आम सभा द्वारा गठित समितियों के अध्यक्ष होंगे;
- (ग) जब कभी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- (घ) कर्मचारी परिषद द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्य निष्पादन करेंगे।

3. महासचिव

महासचिव -

- (क) संघ के दैनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे;
- (ख) अध्यक्ष के परामर्श से बैठक बुलाएँगे;
- (ग) बैठकों के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड रखेंगे एवं उसका रखरखाव करेंगे;
- (घ) कर्मचारी परिषद के अनुमोदन से अनुमोदित बजट के अंदर व्यय करेंगे;
- (ङ) संघ की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे प्रस्तुत करेंगे;
- (च) कर्मचारी परिषद द्वारा सौंपे जानेवाले अन्य कर्तव्य एवं कार्यों का निष्पादन करेंगे।

4. सहायक महासचिव

सहायक महासचिव -

- (क) महासचिव को उनके कार्य निष्पादन में सहायता करेंगे तथा कर्मचारी परिषद द्वारा सौंपे जानेवाले उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे;
- (ख) महासचिव द्वारा सौंपे जानेवाले कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करेंगे;
- (ग) महासचिव की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों एवं कार्यों का निष्पादन करेंगे।

5. कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष -

- (क) लेखाओं के उचित रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी होंगे;
- (ख) नगदी की प्राप्ति, जमा एवं उसकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे;
- (ग) संघ की तरफ से रसीद जारी करेंगे;
- (घ) मौजूदा वित्तीय विधि के अनुसार संघ के आय एवं व्यय का रखरखाव करेंगे;
- (ङ) संघ की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट और बजट तैयार करना तथा उसे प्रस्तुत करेंगे; और
- (च) कर्मचारी परिषद द्वारा सौंपे जाने वाले कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक सचिव -

महासचिव के समग्र पर्यवेक्षण में अपने कर्तव्य और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

चुनाव:

1. संघ कर्मचारी परिषद के चुनाव आयोजित करने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए आम सभा द्वारा नामित 3 (तीन) सदस्यों को लेकर एक चुनाव समिति का गठन किया। तीनों सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा जिनके दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव समिति कार्य करेंगे।
2. चयन समिति के प्रत्येक सदस्य ऐसे नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, जैसा कि निर्धारित किया जाए।
परंतु, चयन समिति आम सभा द्वारा संपुष्टि किए जाने पर चुनाव से संबन्धित सभी विषयों के लिए स्वयं का नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करेगी।
3. चुनाव समिति के कोई भी सदस्य चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होंगे जिसके लिए वे उत्तरदायी है।
4. संघ की कर्मचारी परिषद के सभी सदस्यों को संघ के पूरे सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
5. चुनाव के लिए कर्मचारी परिषद द्वारा बनाए गए, आम सभा द्वारा अनुमोदित और चुनाव समिति द्वारा संचालित नियमों के तहत गुप्त बेलट पेपर के माध्यम से मतदान किया जाएगा।
6. चुनाव के परिणाम चुनाव समिति के अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में चुनाव समिति के किसी अन्य सदस्य, जिनको लिखित रूप से अध्यक्ष द्वारा ऐसा प्राधिकार प्रदान किया गया है, द्वारा घोषित किया जाएगा।
7. चुनाव से संबन्धित किसी विषय के विरुद्ध प्राप्त आवेदन/शिकायतों को तुरंत चुनाव समिति को प्रेषित किया जाएगा। चुनाव समिति नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार तत्काल ऐसे आवेदन/शिकायतों पर विचार करेगी। चुनाव समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकर होगा।
8. निवर्तमान कर्मचारी परिषद चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद तुरंत नई टीम को कार्यभार सौंपेगी। चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद अगले ही दिन नई टीम कार्यभार ग्रहण करेगी।
9. संघ के कोई भी सदस्य संघ की कर्मचारी परिषद के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवारी भरने के लिए योग्य होंगे।
10. संघ के कोई भी सदस्य, जिन्हें विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सांविधिक जांच अथवा उसके समकक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितता, शारीरिक हिंसा, और/अथवा यौन उत्पीड़न में दोषी पाया जाता है तो उसे एसयूएनटीएसए के चुनाव में भाग लेने के लिए वंचित किया जाएगा। जबकि, वे मतदान कर सकते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दर्ज करने से पहले 'पूर्ण घोषणा मानदंड' का पालन करना होगा जिसमें क्या उनके विरुद्ध पहले ऐसी कोई जांच की गई है, अगर है तो क्या जांच लंबित है अथवा समाप्त हो चुकी है और किस आधार पर जांच हुई है, इन सभी का उल्लेख हो। ऐसी कोई भी सूचना व्यापक रूप से मतदाताओं के बीच परिचालित की जाएगी।
11. कर्मचारी परिषद के सदस्य लगातार दो चरण तक एक ही पद के लिए पुनः चुनाव लड़ने के लिए योग्य होंगे।

12. आम सभा द्वारा स्वीकृत एक वरिष्ठ अधिकारी, जो संयुक्त कुलसचिव के स्तर के पद से नीचे के स्तर के नहीं है और जो विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं किन्तु इस संघ के सदस्य नहीं है और/अथवा एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक हैं, चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

अनुच्छेद -XII

कर्मचारी परिषद के सदस्यों का त्यागपत्र

1. अपरिहार्य परिस्थिति में कर्मचारी परिषद के सदस्य अध्यक्ष को लिखित तौर पर त्यागपत्र दे सकता है। कर्मचारी परिषद द्वारा त्यागपत्र को स्वीकृत करने की तिथि से इस्तीफा प्रभावी होगा।
2. अध्यक्ष का त्यागपत्र पर उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कर्मचारी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा अपने त्यागपत्र में प्रस्तुत किए गए आधार को कर्मचारी परिषद के एक संकल्प में अभिलेखित किया जाएगा।

अनुच्छेद -XIII

अधिकार एवं विशेषाधिकार :

1. संघ के प्रत्येक वास्तविक सदस्य को इस संविधान के अंतर्गत एक समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा।
2. संघ के सभी वास्तविक सदस्य को चुनाव में भाग लेने तथा संघ के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद - XIV

बैठक :

1. संघ की आम सभा वर्ष में एक बार बैठक करेगी।
2. अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार अल्पकालीन सूचना पर आम सभा की आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है।
3. संघ के सभी सदस्यों के लिए बैठक में भाग लेने के लिए अनिवार्य होगा। जबकि, सदस्य अपनी अनुपस्थिति के वास्तविक कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित तौर पर अथवा ईमेल के द्वारा सूचित करने पर सदस्यों को माफ की जा सकती है।
4. कर्मचारी परिषद की पहली बैठक का आयोजन चुनाव के परिणामों की घोषणा होने की तिथि से एक महीने के बाद किया जाएगा। कर्मचारी परिषद आवश्यकतानुसार और अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार बैठक आयोजित करेगी।
5. आम सभा की बैठक के लिए बैठक के समय कुल सदस्यता के एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

अनुच्छेद – XV

संघ की निधियाँ :

1. सिक्किम विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी निधि के नाम से कही जानेवाली निधियों को कर्मचारी परिषद द्वारा बनाया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा।
2. निधि निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होगी :
 - i) सदस्यता शुल्क
 - ii) सिक्किम विश्वविद्यालय से प्राप्त दान
 - iii) खेल/सांस्कृतिक कार्यक्रम और चलचित्र के प्रदर्शन के आयोजन द्वारा
 - iv) बैंक में जमा की गई राशि से प्राप्त ब्याज
3. धनराशि को कर्मचारी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले गए खाते में जमा की जाएगी और उसे महासचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।

अनुच्छेद -XVI

लेखा-परीक्षण

संघ के लेखाओं का लेखा-परीक्षण संघ द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद - XVII

वित्तीय वर्ष :

संघ के वित्तीय वर्ष दिनांक 1 अप्रैल से प्रारम्भ होगा और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा।

अनुच्छेद –XVIII

संशोधन :

संविधान के किसी भी प्रावधान को नीचे उल्लेखित तरीके से संशोधित, रद्द अथवा जोड़ा जा सकता है :

1. संविधान में संशोधन आम सभा की जरूरतों के अनुसार किया जाता सकता है।
2. संघ के सदस्य किसी प्रकार के संशोधन के लिए कर्मचारी परिषद के विचारार्थ पहला प्रस्ताव दे सकते हैं। संशोधन के लिए प्रस्ताव कर्मचारी परिषद के संकल्प द्वारा पारित किया जा सकता है।
3. दूसरा प्रस्ताव आम सभा में पारित किया जाएगा बशर्ते कि संकल्प आम सभा कि बैठक में संयुक्त रूप से संघ के एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में उनके द्वारा लिखित तौर पर ऐसा करने के लिए इच्छा प्रकट किया गया हो।
4. आम सभा में स्वीकृत किसी प्रस्ताव को सामान्य चर्चा के लिए अध्यक्ष द्वारा परिचित कराया जाएगा। परंतु, प्रस्तावित संशोधन पर जब तक आम सभा द्वारा कम से कम 15 दिन के पूर्व सूचना से बैठक आयोजित नहीं किया जाता है और जिसमें कम से कम दो-तिहाई सदस्य उपस्थित न होते हैं, तब तक उस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी।

5. संविधान को संशोधित करनेवाले संकल्प के लिए कम से कम दो-तिहाई की बहुमत से उपस्थिति और मतदान करने की आवश्यकता होगी।

परंतु, मतदान करनेवाले सदस्यों की संख्या संघ के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से कम नहीं है।

6. संविधान को संशोधित करने वाले संकल्प को विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद के विचारार्थ के लिए प्रशासन को प्रस्तुत करना होगा। कोई भी संशोधन कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद -XIX

कठिनाइयों का निवारण

उपर्युक्त किसी बात के होते हुए कुलपति के पास विश्वविद्यालय के सुचारु कामकाज सुनिश्चित करने हेतु किसी भी अनुच्छेद के संचालन को निलंबित करने की शक्ति होगी।